प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 11

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....

प्र. इ. रि. स. ..... 219/22 ..... दिनांक ..... 6/6/2022 .....

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(सशोंधन)अधिनियम 2018 .....धारायें...7,7ए, भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018.....

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....201,120बी भा0द0सं0.....

(स) अधिनियम .....धारायें.....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....91.....समय.....2.30 PM.....

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 02.06.2022 समय 04.13 पी.एम. .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 23.04.2022 समय.....12.35 पी.एम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से उत्तर–पूर्व दिशा में करीब 60 किलोमीटर.....

(ब) पता – जूठो का बाडा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर

.....बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री हमीद खान .....

(ब) पिता का नाम श्री कचरूददीन.....

(स) जन्म तिथि / वर्ष साल.....39 साल.....

(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....

(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय..... .....होटल व्यवसाय.....

(ल) पता ... देवास हाल मसूदा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर .....

7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री दुर्गाराम किलक जाति जाट उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट पुंदलोता तहसील डेगाना पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि0 नं0 2213 पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर।
2. श्री भंवरलाल पुत्र श्री गजानन्द जाति खाती उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम तसवारिया तहसील केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर हाल कानि0 चालक नं0 917 पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर
3. अन्य आरोपीगण

8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

.....40,000 रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....

.....40,000 रू. रिश्वत राशि .....

11 .....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल,यूनिट अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै हमीद पुत्र श्री कचरूददीन जाति मुसलमान निावसी देवास हाल मसूदा जिला अजमेर का निवासी हूॅ। मेरी पुलिस थाना मसूदा से थोडी दूरी पर मसूदा से केकडी रोड पर नोनवेज की होटल है। मैने मेरी गाडी बोलेरो कैम्पर आरजे–36जीए–6273 है जिसको मैने महेन्द्र राजियावास को बेच दी थी लेकिन करीब 18 महिने होने के बावजूद भी उसने मेरे बकाया पैसे नहीं दिये जिस कारण मैने गाडी को वापस ले लिया तथा पुलिस थाना मसूदा मे जब्त करवा दिया। गाडी को छोडने के लिये मसूदा पुलिस थाने के घीसालाल एएसआई व महेन्द्र कानि0 मेरे से 50,000 रू0 मांगे ओर बोला कि हम तेरा सेटलमेंट करवा देंगे। मैने गाडी कोर्ट से छुडवा दी। कोर्ट से छुडवाने पर गाडी मुझे दे दी लेकिन रूपयो की मांग कर रहे है कि हमने सीआई साहब से बात कर ली इसलिए जो बात हुई उस हिसाब से रूपये देने पडेंगे। घीसालाल एएसआई व महेन्द्र कानि0 मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। मै यदि उनको रूपये नहीं दूंगा तो मेरी होटल चलती है ओर डम्पर भी चलते है मुझे परेशान करेंगे। मै पुलिस थाना स्टाफ व सीआई साहब को रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ तथा इनको रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूॅ। मेरी पुलिस स्टाफ व सीआई साहब से कोई उधार लेन–देन बकाया नहीं है तथा न ही मेरी कोई इनसे रंजिश आदि भी है। रिपोर्ट पेश कर रहा हूॅ। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी, एसडी हमीद, हमीद पुत्र कचरूददीन निवासी देवास हाल मसूदा जिला अजमेर मोबाईल नं0 9636393076 दिनांक 23.04.22

–:: कार्यवाही पुलिस/रंनिग नोट::–

कार्यवाही पुलिस एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर दिनांकः–23.04.2022 समय 09.30 ए.एम.

उपरोक्त टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर के नाम सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की गई जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्यवाही के तहत मौजूद परिवादी का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री हमीद पुत्र श्री कचरूदीन जाति मुसलमान उम्र 39 वर्ष निवासी देवास हाल मसूदा जिला अजमेर बताया तथा उक्त मूल प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी पुलिस थाना मसूदा से थोडी दूरी पर मसूदा से केकडी रोड पर नोनवेज की होटल है। मैने मेरी गाडी बोलेरो कैम्पर आरजे–36जीए–6273 है जिसको मैने महेन्द्र राजियावास को बेच दी थी लेकिन करीब 18 महिने होने के बावजूद भी उसने मेरे बकाया पैसे नहीं दिये जिस कारण मैने गाडी को वापस ले लिया तथा पुलिस थाना मसूदा मे जब्त करवा दिया। गाडी को छोडने के लिये मसूदा पुलिस थाने के घीसालाल एएसआई व महेन्द्र कानि0 मेरे से 50,000 रू0 मांगे ओर बोला कि हम तेरा सेटलमेंट करवा देंगे। मैने गाडी कोर्ट से छुडवा दी। कोर्ट से छुडवाने पर गाडी मुझे दे दी लेकिन रूपयो की मांग कर रहे है कि हमने सीआई साहब से बात कर ली इसलिए जो बात हुई उस हिसाब से रूपये देने पडेंगे। घीसालाल एएसआई व महेन्द्र कानि0 मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। मै यदि उनको रूपये नहीं दूंगा तो मेरी होटल चलती है ओर डम्पर भी चलते है मुझे परेशान करेंगे। मै पुलिस थाना स्टाफ व सीआई साहब को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ तथा इनको रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। मेरी पुलिस स्टाफ व सीआई साहब से कोई उधार लेन–देन बकाया नहीं है तथा न ही मेरी कोई इनसे रंजिश आदि भी है। रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें। उक्त टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर स्वंय के हस्ताक्षर होना अवगत कराया तथा स्वयं को मात्र साक्षर होकर हस्ताक्षर करने की बात कही। परिवादी ने गाडी महेन्द्र को बेचने का एग्रीमेन्ट, गाडी पूनाराम के नाम से स्वयं के नाम का एग्रीमेन्ट, गाडी कोर्ट से छुडवाने का कोर्ट का आदेश एवं स्वयं का परिचय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसका अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं पूछताछ पर मामला परिवादी के पुलिस थाने पर जप्त शुदा वाहन को न्यायालय के आदेश पर छोडने के बाद उक्त कृत्य के लिये विधि के अनुसार आबद्ध होने के बावजूद भी लोक सेवकों द्वारा परिवादी से अवैध रूप से डरा धमका कर रिश्वत राशि की मांग करने से संबंधित पाया जाता है। उक्त मांग के क्रम में लोक सेवकों द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाया जाना विधि के अनुकूल एवं ब्यूरो की पारदर्शिता के लिये आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत करवाया गया जिस पर परिवादी ने कहा कि मैं आज ही रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। इस पर कार्यालय हाजा की अलमारी में से कार्यालय हाजा का सरकारी डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकाल कर परिवादी को वायस रिकॉर्डर के संचालन के सम्बन्ध में बताया जाकर वायस रिकार्डिंग की प्रकिया के बारे में समझाईश की गई। परिवादी श्री हमीद को पुलिस थाना मसूदा के एएसआई श्री घीसूलाल व श्री महेन्द्र कानि. द्वारा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने के लिये मसूदा में उपस्थित मिलने की हिदायत मुनासिब देकर रूख्स्त किया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री लक्ष्मण दान हैड कानि. नं0 72 कार्यालय हाजा का सरकारी डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर प्राईवेट वाहन से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी से सम्पर्क करने के लिये कार्यालय से मसूदा को रवाना होकर मसूदा पहुच परिवादी से सम्पर्क किया। परिवादी ने बताया कि श्री महेन्द्र कानि. को उसने फोन किया था लेकिन कोई बात नहीं हुई। परिवादी ने श्री महेन्द्र कानि. का शाम के समय उसके होटल पर आने का बताया जिस पर मसूदा में ही मुकीम रहकर श्री महेन्द्र कानि. का इन्तजार किया लेकिन श्री महेन्द्र कानि. न तो होटल पर आया ना हि उसने कोई फोन किया। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई कि जब भी श्री महेन्द्र कानि. या एएसआई श्री घीसूलाल उससे रिश्वत राशि की मांग के लिये सम्पर्क करे तो मन उप अधीक्षक को तुरन्त सूचित करें। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के वापस ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर उपस्थित आया व वॉइस रेकार्डर कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 29.04.22 को परिवादी श्री हमीद ए.सी.बी. स्पेशल यूनिट कार्यालय पर उपस्थित आया और बताया कि श्री महेन्द्र कानि. ने रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने के लिये उसे मसूदा पैट्रोल पम्प पर बुलाया है जिससे आज ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूँ। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री हमीद व श्री कन्हैया लाल सहायक उप

निरीक्षक का आपस में परिचय करवाया। सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड डाला जाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की समझाईश की गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी व आपके मध्य की जाने वाली वार्ता को उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज करें तथा कार्यालय के ए.एस.आई. श्री कन्हैया लाल को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत प्रदान कर परिवादी श्री हमीद के साथ उसकी कार बोलेरो से मसूदा के लिये रवाना किया। रवानाशुदा श्री कन्हैया लाल सहायक उप निरीक्षक मय सरकारी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय उपस्थित आये। श्री कन्हैया लाल ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि " मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री हमीद के साथ उसकी प्राईवेट बोलेरो कार से मसूदा के लिये रवाना होकर मसूदा कस्बे में पहुचा। जहां पर परिवादी को संदिग्ध की उपस्थिति के बारे में जानकारी करने हेतु कहा तो उसने बताया कि श्री महेन्द्र कानि0 वार्ता करने हेतु श्री भंवरजी के पैट्रोल पम्प पर आने की बात कही है। अतः मुझे श्री भंवरजी चौधरी से वार्ता करनी होगी। जिस पर परिवादी श्री हमीद ने श्री भंवर चौधरी से वार्ता की तो भंवरजी ने बताया कि मैं उससे वार्ता करके आपको बताता हूँ। तत्पश्चात भंवरजी ने परिवादी श्री हमीद के मोबाईल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि अभी उसने मेरा फोन रिसिव नहीं किया है। अतः आप शाम को पांच बजे बाद मेरे से बात करना मैं आपको श्री महेन्द्र से बात करके बता दूंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर संदिग्ध के उपस्थिति के बारे में जानकारी करने हेतु कस्बे की ओर रवाना किया गया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कस्बे में ही मौजूद रहा। समय करीब 06.15 पीएम पर परिवादी ने मेरे मोबाईल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि श्री महेन्द्र कानि0 की श्री भंवरजी से वार्ता हो चुकी है तथा वार्ता के अनुसार उसने अपने पैट्रोल पम्प पर आने हेतु कहा है। जिस पर मैं व परिवादी उसकी स्वयं की मोटरसाईकिल से कस्बा मसूदा से रवाना होकर बांदनवाडा रोड की ओर रवाना हुए। थाने से थोडी दूर आगे पहुचने पर परिवादी ने बताया कि श्री महेन्द्र कानि0 वार्ता करने हेतु पैट्रोल पम्प पर आएगा। जिस पर हम पैट्रोल पम्प के पास पहुचकर परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर वार्ता रेकार्ड करने हेतु रवाना किया तो रास्ते में एक व्यक्ति उसे उपस्थित मिला जिसे उसने अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर पैट्रोल पम्प की ओर जाता नजर आया तथा मैंने भी अपनी उपस्थिति पैट्रोल पम्प के आस–पास ही रखी। थोडी देर बाद ही एक क्रेटा चार पहिया वाहन उक्त पेट्रोल पम्प पर आता हुआ नजर आया जो पैट्रोल पम्प पर आकर रूक गया। जिसमे परिवादी श्री हमीद व उसका अन्य साथी उस गाडी में बैठते हुए नजर आए। करीब आधा घण्टे बाद उक्त वाहन जाता हुआ नजर आया तथा परिवादी व उसका साथी पेट्रोल पम्प पर ही खडे रहे। थोडी देर बाद ही परिवादी अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर शहर कस्बे की ओर रवाना हुआ। जिसने मुझे मोबाईल फोन कर बताया कि आप मुझे शहर कस्बे की ओर मिल जावें। जिस पर मैं भी मसूदा कस्बे की ओर परिवादी के पीछे रवाना होकर सुनसान स्थान पर जाकर उससे मिला। समय करीब 07.35 पीएम पर परिवादी ने मुझे वॉइस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। उपस्थित परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी भंवर चौधरी के पैट्रोल पम्प पर श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 की गाडी में बैठकर ही वार्ता हुई है जिसमे उसने मेरे से 50,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग करते हुए 40,000 रू0 रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ है। वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुना तो रिश्वत राशि मांग सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यों, रिश्वत राशि मांग सत्यापन पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवादी श्री हमीद को कल सुबह जल्दी ही कार्यालय में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने की हिदायत देकर मसूदा कस्बे में ही छोडकर मैं मसूदा से रवाना होकर कार्यालय आया हूँ।" मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री कन्हैया लाल एएसआई द्वारा प्रस्तुत वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज को चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ताईद हुई। मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 ने अपने व एएसआई घीसालाल तथा निरीक्षक पुलिस के लिए उसके वाहन को छोडने की एवज में व उसके शहर कस्बे में चल रही होटल की मंथली के रूप में 50,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 40,000 रू0 रिश्वत राशि लेना तय करना पाया गया। वार्ता के अनुसार श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 द्वारा रिश्वत राशि कल दिनांक को ही लिया जाना तय है। दर्ज वार्ता के अनुसार आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी द्वारा रिश्वत राशि 40,000 रू0 की मांग किये जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जानी है। जिस हेतु स्टाफ के सभी सदस्यों को दिनांक 30.04.22 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत मुनासिब दी गई तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिए दूरभाष वार्ता कर जिला परिवहन अधिकारी अजमेर श्री राजीव शर्मा

3 R

से वार्ता कर दो स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अजमेर से तलबशुदा गवाहान श्री बलराज नलिया सूचना सहायक एवं श्री ओम भाकर कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। कुछ समय बाद परिवादी श्री हमीद खान भी उपस्थित कार्यालय आया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय कराया गया तथा कार्यालय की आलमारी में रखे डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निकाला जाकर परिवादी द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्र को गवाहान श्री बलराज नलिया व श्री ओम भाकर को पढाया गया तथा उसमें अंकित तथ्यों के बारे में अवगत कराया गया एवं परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता, जो मैमोरी कार्ड में दर्ज है, को डिजीटल वॉइस रिकार्डर में आपॅरेट कर सुनाई गई तो स्वतन्त्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता से सहमति प्रदान करते हुए उक्त कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान रहने की सहमति स्वैच्छा से प्रदान की। तत्पश्चात् कार्यालय के श्री कपिल कानिस्टेबल नं0 377 से वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 29.04.22 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शब्द–ब–शब्द दिनांक 30.04.22 को तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्पयूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपियों हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित आलमारी में रखा गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई सीडी को शामिल पत्रावली किया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री हमीद खान को आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 2,000–2,000 रू0 के 15 नोट तथा 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 40,000 रू0 रिश्वत राशि के नोट पेश किये। जिनके नम्बर फर्द प्रदर्शन में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अंकित करवा कार्यालय के श्री जगदीश प्रसाद कानि0 चालक नं0 370 से कार्यालय में रखी फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों पर फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गए तथा परिवादी को हिदायत प्रदान की कि जैसे ही आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी रिश्वत राशि ग्रहण कर लेवें तो मन् उप अधीक्षक पुलिस अथवा कार्यालय स्टाफ को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा कर देवें। जिससे ट्रेप पार्टी समझ जावेंगी कि आरोपी ने रिश्वत राशि ग्रहण कर ली है। उपरोक्त हिदायत प्रदान कर परिवादी श्री हमीद खान को कार्यालय का वॉइस रिकार्डर मय नए मैमोरी कार्ड के रिश्वत राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रेकार्ड करने हेतु कहकर सुपुर्द किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पावडर एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, श्री नरेन्द्र उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेश हैड कानि0 नं0 114, श्री श्यामप्रकाश कानि0 न0 316, श्री भरत सिंह कानि0 नं0 18, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री मनफूल कानि0 नं0 403, श्री कपिल कानि0 नं0 377, कानि0 चालक नं0 376 श्री मनीष कुमार व स्वतन्त्र गवाह श्री बलराज नलिया व ओम भाकर के प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री हमीद खान को उसके स्वयं के निजी वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के मसूदा की ओर रवाना हुए तथा श्री जगदीश प्रसाद कानि0 चालक को कार्यालय की निगरानी हेतु उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ग्राम नारायणपुरा मसूदा पहुचकर परिवादी श्री हमीद खान को आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 की उपस्थिति के बारे में जानकारी हासिल की जाने हेतु श्री भंवरलाल चौधरी के मोबाईल नं0 पर वार्ता करवायी गयी तो वार्ता के दौरान आरोपी महेन्द्र चौधरी का पुलिस थाना मसूदा में होना अवगत कराया तथा भंवरलाल चौधरी ने बताया कि महेन्द्र चौधरी कानि0 थोडी देर बाद ही मेरे पेट्रोल पम्प पर आने के लिए बताया है। इस पर परिवादी श्री हमीद खान को पैट्रोल पम्प के आस पास ही आरोपी की उपस्थिति की जानकारी करने हेतु रवाना किया गया तथा आरोपी के उपस्थित आने के बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर रिश्वत राशि देने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 09.30 पीएम तक आरोपी महेन्द्र चौधरी श्री भंवरलाल चौधरी के पैट्रोल पम्प पर उपस्थित नहीं आया। जिस पर पुनः भंवरलाल चौधरी से परिवादी हमीद खान

की वार्ता कराई गई तो उसने पैट्रोल पम्पर पर आने से ईन्कार किया। चूंकि आरोपी से रिश्वत राशि का लेन–देन नहीं हो सकने व आरोपी राजकार्य में व्यस्त होने से पुलिस थाना मसूदा से बाहर होना अवगत कराने से परिवादी से गवाहान श्री बलराज नलिया से एक कागज के लिफाफे में रिश्वत राशि रखवा मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखी तथा परिवादी से वॉइस रेकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी को आवश्यक समझाईश की कि जब भी आरोपी से सम्पर्क होवें तो मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराये ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही अमल में लायी जा सकें। बाद हिदायत परिवादी को मसूदा ही रूख्स्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर के लिए प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अजमेर वापस आया। दिनांक 04.05.22 को मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री हमीद खान का मिस्ड कॉल आया। जिस पर मेरे द्वारा श्री हमीद खान के मोबाईल पर वार्ता की गयी तो उसने अवगत कराया कि आज आरोपी ने मेरे पुत्र को थाने पर बुलाकर मेरे बारे में जानकारी ली तथा उससे कहा कि तेरे पिताजी को मैंने पैसे लाने के लिए कहा था जो तीन–चार दिन निकल जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आया है। वह यदि कल नहीं आया तो मैं तेरी होटल व डम्पर को बंद कर दूंगा तथा पिक–अप वाहन को पुनः जब्त करवा दूंगा। उपरोक्त समस्त वार्ता जो मेरे पुत्र व महेन्द्र चौधरी के बीच हुई थी वह आकर मेरे पुत्र ने मुझे बताई है तथा आरोपी कल दिनांक 05.05.2022 को थाने पर ही उपस्थित रहेगा तथा रिश्वत राशि भी उसने कल ही मंगवाई है। परिवादी द्वारा दी गई उक्त सूचना के आधार पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कल प्रातः मसूदा कस्बे में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए तथा कार्यालय स्टाफ तथा तलबिदा गवाहान को जरिए दूरभाष कार्यालय में प्रातः 07.00 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 05.05.22 को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आलमारी में रखे रिश्वत राशि नोट का लिफाफा, वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेप–टॉप व प्रिण्टर को साथ लेकर मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेश हैड कानि0 नं0 114, श्री भरत सिंह कानि0 नं0 18, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री कपिल कानि0 नं0 377, कानि0 चालक नं0 376 श्री मनीष कुमार व स्वतन्त्र गवाह श्री बलराज नलिया व ओम भाकर के प्राईवेट वाहनों के मसूदा के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को उसके ग्राम झिपियां स्थित फार्म हाउस पर उपस्थित मिलने के निर्देश प्रदान किये गए। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ग्राम झिपियां स्थित परिवादी के फार्म हाउस पर पहुचा। जहां परिवादी श्री हमीद खान मय अपने निजी वाहन पिक–अप के उपस्थित मिला। जिसे गवाहान के समक्ष कल दिनांक को अवगत कराई गई वार्ता के बाबत पूछताछ की गई तो दौराने पूछताछ परिवादी ने पूर्व में बताए तथ्यों की ताईद की तथा अवगत कराया कि आज आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी थाने पर ही उपस्थित है तथा उसने रिश्वत राशि श्री भंवरलाल चौधरी से वार्ता करने के उपरान्त ही लिए जाने हेतु कहा है। इस पर परिवादी श्री हमीद खान के मोबाईल से श्री भंवरलाल चौधरी के मोबाईल नं0 पर वार्ता कराई गई तो भंवरलाल चौधरी ने दौराने वार्ता अवगत कराया कि मेरी महेन्द्र चौधरी से कल वार्ता हुई थी। उसने वार्ता के अनुसार रिश्वत राशि 40,000 रू0 आज ही मंगवाये है, मैं तेरे को महेन्द्र से वार्ता करके बताता हूँ। परिवादी व भंवरलाल चौधरी के मध्य की गई उपरोक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज की गई जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेंगी। परिवादी व भंवरलाल चौधरी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार रिश्वत राशि भंवरलाल चौधरी लेने के लिए तैयार होने से मन उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि भंवरलाल को देने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं उसे रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। वह मसूदा का प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर धनाढय है तथा राजनैतिक रसूखात रखता है। मैं एवं मेरा परिवार मसूदा में ही रहकर व्यापार करते हैं। मैं यदि भंवरलाल चौधरी को रिश्वत राशि देकर पकडवा दूंगा तो मेरे व मेरे परिवार को जीवन यापन करने में परेशानी आ जायेगी। मैं महेन्द्र चौधरी को सीधे ही रिश्वत राशि दे सकता हूँ। परिवादी ने भंवरलाल चौधरी को रिश्वत राशि देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में आना कानी की। परिवादी द्वारा बताये गए उपरोक्त तथ्यों के बाबत् श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अजमेर रेंज, अजमेर से जरिए दूरभाष वार्ता कर अब तक के तथ्यों से अवगत कराया गया। प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवादी श्री हमीद खान को आवश्यक समझाईश भी की गई एवं उसे बताया कि आप अगर रिश्वत राशि भंवरलाल को नहीं देना चाहते है तो आप सीधे ही बिना वार्ता किये ही आरोपी महेन्द्र चौधरी को रिश्वत राशि देने के लिए उसके सरकारी आवास पर चले जावें। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि जो कागज के लिफाफे में रखी हुई, को कार्यालय के श्री दामोदर कानि0 नं0 435 से निकलवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नहीं छोडते हुए रखवाई गई तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर कार्यालय के श्री भंरत सिंह कानि0 नं0 18

३८

को मय डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के निजी वाहन से पुलिस थाना मसूदा के लिए रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ एवं गवाहान भी परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुए। कार्यालय के श्री दामोदर कानि0 नं0 435 को बाद हिदायत के ग्राम झिपिया से एसीबी कार्यालय अजमेर पहुचने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ग्राम झिपियां से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर राजकीय महाविद्यालय मसूदा के आस–पास पहुचा। जहा परिवादी श्री हमीद खान अपने निजी वाहन को थाने के बाहर खडा कर नीचे उतरकर थाने के अन्दर जाता हुआ नजर आया तथा हम सभी थाने के आस–पास ही अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। थोडी देर बाद समय करीब 10.35 एएम पर परिवादी श्री हमीद खान थाने से बाहर बिना ईशारा किये ही आता हुआ नजर आया तथा अपने वाहन में बैठकर खरवा रोड की तरफ रवाना हो गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय के श्री भरत सिंह कानि0 ने जरिए मोबाईल से वार्ता कर बताया कि परिवादी से रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर दिया है। आरोपी महेन्द्र चौधरी ने रिश्वत राशि नहीं ली है तथा परिवादी भी बिना रिश्वत राशि दिये मेरे पास आ गए है तथा मैं व परिवादी उसके निजी वाहन से खरवा रोड की ओर जा रहे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान को साथ लेकर वाहनो से खरवा रोड की तरफ रवाना हुआ। खरवा रोड की तरफ रास्ते में परिवादी का वाहन जाता हुआ नजर आया जिसे साईड में रोका गया। जहा श्री भरत सिंह कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को वॉइस रेकार्डर सुपुर्द किया एवं परिवादी ने अवगत कराया कि महेन्द्र चौधरी ने मेरे से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है तथा उसने रिश्वत राशि भंवरलाल को ही देने के लिए कहा है। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यों की ताईद हुई। दौराने वार्ता आरोपी महेन्द्र चौधरी ने अपना कल अवकाश पर जाने के लिए भी बताया है। फिर भी आरोपी महेन्द्र चौधरी और भंवरलाल चौधरी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार आरोपीगण द्वारा परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के इन्तजार में मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के खरवा रोड से रवाना होकर ग्राम झिपिया स्थित परिवादी के फार्म हाउस के लिए रवाना होकर परिवादी के ग्राम झिपियां स्थित फार्म हाउस पर पहुचा। जहा वाहनो को साईड में खडा कर भंवरलाल चौधरी व महेन्द्र चौधरी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने से सम्बन्धित मोबाईल आने का इन्तजार में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे। समय करीब 02.00 पीएम तक भी महेन्द्र चौधरी व भंवरलाल चौधरी ने रिश्वत राशि के सम्बन्ध में परिवादी से सम्पर्क नहीं किया। चूंकि परिवादी भंवरलाल चौधरी को रिश्वत राशि देना नहीं चाहता है ना हि उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करवाना चाहता है। अतः परिवादी से रिश्वत राशि आदान–प्रदान के बाबत आवश्यक विचार विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी महेन्द्र चौधरी कल से छुटटी पर जा रहा है। उसके आने के उपरान्त एवं मेरे से सम्पर्क होने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा। इस पर परिवादी के पास रखी रिश्वत राशि गवाह श्री बलराज नलिया से निकलवाई जाकर कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखवाई गई तथा डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित कब्जे लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि का लेन–देन नहीं हो सकने से आज कार्यवाही नहीं की जा सकने से परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूख्सत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय अजमेर के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर पहुचा। जहां रिश्वत राशि का लिफाफा व वॉइस रेकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आलमारी में सुरक्षित रख गवाहान व स्टाफ को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूख्स्त किया गया। दिनांक 02.06.22 को परिवादी श्री हमीद खान ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिए दूरभाष सूचित किया कि आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी से आज उसकी वार्ता हुई है। वार्ता के अनुसार उसने आज रिश्वत राशि लेने हेतु कहा है तथा शाम को उसे थाने पर ही बुलाया है। इस पर परिवादी की प्राप्त सूचना के आधार पर परिवादी को मसूदा मे ही उपस्थित रहकर आरोपी महेन्द्र चौधरी की उपस्थिति के बारे में जानकारी लेने हेतु पाबन्द किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से प्राप्त सूचना एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय स्टाफ व स्वतन्त्र गवाहान की तलबी जरिए दूरभाष की गई तथा अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए। तलबिदा गवाहान श्री बलराज नलिया एवं ओम भाकर तथा कार्यालय स्टाफ सर्वश्री कन्हैयालाल सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेश हैड कानि0 नं0 114, श्री अर्जुन कानि0 नं0 244, श्री लखन कानि0 नं0 420, कानि0 चालक नं0 376 श्री मनीष कुमार उपस्थित कार्यालय आए। कुछ समय पश्चात परिवादी से प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आलमारी में रखी रिश्वत राशि नोट का लिफाफा, वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेप–टॉप को साथ लेकर मय हमराहियान

स्टाफ के प्राईवेट वाहनों के मसूदा के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को उसके ग्राम झिपियां स्थित फार्म हाउस पर उपस्थित मिलने के निर्देश प्रदान किये गए। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ग्राम झिपियां स्थित परिवादी के फार्म हाउस पर पहुचा। जहां परिवादी श्री हमीद खान मय अपने निजी वाहन पिक–अप के उपस्थित मिला। जिसे गवाहान के समक्ष आज दिनांक को अवगत कराई गई वार्ता के बाबत पूछताछ की गई तो दौराने पूछताछ परिवादी ने पूर्व में बताए तथ्यों की ताईद की तथा अवगत कराया कि आज आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी थाने पर ही उपस्थित है तथा उसने रिश्वत राशि लेने हेतु मुझे बुलाया है। इस पर परिवादी श्री हमीद खान के मोबाईल नं0 9636393076 से आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 के मोबाईल नं0 9649566307 पर वार्ता कराई गई तो श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 ने परिवादी को जूठो का बाडिया स्थित शराब के ठेके के पास रिश्वत राशि लेना तय किया है। परिवादी व महेन्द्र चौधरी कानि0 के मध्य की गई उपरोक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज की गई जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेंगी। इस पर आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि जो कागज के लिफाफे में रखी हुई, को कार्यालय के श्री भरत सिंह कानि0 नं0 18 से निकलवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नहीं छोडते हुए रखवाई गई तथा परिवादी एवं कार्यालय के श्री राजेश हैड कानि0 व श्री अर्जुन लाल कानि0 को मय डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के निजी वाहन से जूठा का बाडिया मसूदा स्थित मुख्य सडक पर बने शराब ठेके की ओर आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया। समय करीब 03.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ एवं गवाहान भी परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुए। कार्यालय के श्री भरत सिंह कानि0 नं0 18 को बाद हिदायत के ग्राम झिपिया से एसीबी कार्यालय अजमेर पहुचने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ग्राम झिपियां से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर जूठा का बाडिया मसूदा पर मुख्य सडक पर बने शराब के ठेके के थोडी दूर पहले पहुचा। जहा परिवादी श्री हमीद खान अपने निजी वाहन को शराब के ठेके के सामने खडा कर अपनी गाडी मे बैठा रहा तथा कार्यालय के श्री राजेश हैड कानि0 व श्री अर्जुन लाल कानि0 परिवादी के वाहन से उतरकर शराब के ठेके के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हो गए। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के शराब के ठेके से थोडी दूर बान्दनवाडा रोड की तरफ अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। थोडी देर बाद समय करीब 04.13 पीएम पर परिवादी श्री हमीद खान द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 के रिश्वत राशि प्राप्त करने का ईशारा जरिए मोबाईल प्राप्त हुआ। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के परिवादी के प्राप्त ईशारे के अनुसार जूठा का बाडा मुख्य सडक पर स्थित शराब के ठेके की ओर रवाना हुआ। जहा सामने परिवादी ने जोर–जोर से चिल्लाकर अवगत कराया कि आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी एवं उसका अन्य साथी अपने वाहन संख्या आरजे–01सीई–7139 में बैठकर गाडी को तेज गति से भगाकर ले गया है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हमीद खान को आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी के द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत पूछताछ की गई तो बताया कि आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी एवं उसका साथी श्री भंवरलाल जांगिड वर्दी में वेन्यू कार संख्या आरजे–01सीई–7139 से मेरे पास आए तथा उनके स्वयं के वाहन में मुझे बुलाकर गाडी में बैठे–बैठे ही मेरे से वार्ता की तथा वार्ता के अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन के अनुसरण में मेरे से रिश्वत देने हेतु ईशारे में कहा। जिस पर मेने अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में से पूर्व से रखी रिश्वत राशि निकालकर श्री भंवरलाल जांगिड को आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी के कहे मुताबिक दी गई, जो भंवरलाल जांगिड ने रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने हाथो में लेकर आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी को दे दी गई। जिस पर महेन्द्र ने उक्त राशि गिनकर 20,000 रू0 अपने पास रखते हुए शेष 20,000 रू0 की राशि मुझे लौटाते हुए कहा कि मुझे 20,000 रू0 ही दे दो, शेष आप रख लो तथा एक बोतल शराब की ब्लेण्डर प्राईड सामने ठेके से लाने हेतु निर्देशित किया। जिस पर मैंने महेन्द्र चौधरी के कहेअनुसार पास ही शराब के ठेके पर जाकर आपको रिश्वत राशि प्राप्त करने का ईशारा जरिए मोबाईल आपको सूचना दी गई। तत्पश्चात मैंने एक शराब की बोतल ब्लेण्डर प्राईड लेकर उसी समय महेन्द्र चौधरी को सुपुर्द कर दी। पास ही उपस्थित आपके कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा पाकर एवं आपके वाहन को आता देखकर आरोपी की वाहन की तरफ गए। जिस पर श्री अर्जुनलालजी ने गाडी के पास पहुचकर गाडी के दरवाजे को खटकटाया तो आरोपी की गाडी का दरवाजा अन्दर से बंद मिला। उसी समय आपके वाहन को आता देखकर आरोपी को शंका हो जाने पर अपने वाहन को तेज गति से भगाकर बान्दनवाडा रोड की ओर निकल गये। इस पर मन् उप

अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछताछ कर उसके पास मौजूद वॉइस रेकार्डर एवं शेष रिश्वत राशि निकालकर गवाहान श्री बलराज नलिया को सुपुर्द कराई गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान व स्टाफ को लेकर परिवादी के बताएअनुसार बान्दनवाडा रोड की ओर आरोपी की गाडी की तलाश करते हुए पीछे–पीछे गए और आरोपी की गाडी की बान्दनवाडा तक तलाश की लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के वाहन के बारे मे जानकारी प्राप्त नहीं होने पर भ्र0नि0 ब्यूरो मुख्यालय, राज0 जयपुर की तकनीकि शाखा के अधिकारियों से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9649566307 की करेन्ट लोकेशन ली गई तो आरोपी की लोकेशन ग्राम जामोला कानपुरा जाटान की तरफ होना ज्ञात हुआ। करेन्ट लोकेशन के आधार पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान व स्वतन्त्र गवाहान स्टाफ के वाहनो में बैठकर ग्राम कानपुरा जाटान की ओर रवाना होकर प्राप्त लोकेशन के आधार पर रेबारियों की ढाणी कानपुरा जाटान पहुचे तो लोगो की भीड मुख्य सडक पर लगी हुई होना पायी गई तथा पास में ही आरोपी के वाहन संख्या आरजे–01सीई–7139 मुख्य सडक की ओर कच्ची बाड में पेड से टकराई हुई खडी मिली। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित ग्रामीणों से उक्त गाडी के मालिक के बारे में एवं दुर्घटना के बारे में जानकारी ली गई तो उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि यह वाहन किसी पुलिस वाले का है जो तेज गति से वाहन को चलाकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में किसी जानवर के आने से उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस पर सभी ग्रामीण लोग इकटठे हो गए तथा उक्त गाडी से एक व्यक्ति वर्दी में तथा दूसरा व्यक्ति सादा वस्त्र में बाहर निकले तथा उन्होने बताया कि वह किसी मुल्जिम का पीछा कर रहे थे, परन्तु उक्त वाहन अचानक ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उन्होने पुलिस का हवाला देकर किसी वाहन को उपलब्ध कराने हेतु कहा तथा अपने आपको पुलिस थाना मसूदा में पदस्थापित होना बताया। इस पर पास ही उपस्थित एक व्यक्ति ने बताया कि वह दोनो व्यक्ति मेरे से मेरी मोटरसाईकिल लेकर तेज गति से जामोला ग्राम की तरफ निकल गए तथा उन्होने क्षतिग्रस्त वाहन की सुरक्षा के लिए बताया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान के समक्ष उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल सिरोठा जाति जाट उम्र 25 वर्ष निवासी रेबारियों की ढाणी ग्राम कानपुरा जाटान ग्राम पंचायत बेगलियावास पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर मोबाईल नं0 7742334017 होना अवगत कराते हुए अपनी मोटरसाईकिल वाहन संख्या आरजे–36एसपी–1055 पल्सर बरंग काला होना अवगत कराते हुए पुलिस वर्दीधारी कानि0 को अपनी मोटरसाईकिल पल्सर दिया जाना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त वाहन के चारो ओर घूमकर गाडी के बारे में जानकारी ली गई तो उक्त वाहन आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी द्वारा वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के समय प्रयुक्त किया जाना अवगत परिवादी श्री हमीद खान ने कराया। आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 व श्री भंवरलाल जांगिड कानि0 की तलाश हेतु कार्यालय स्टाफ को रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वाहन की नम्बरो की पूर्ण ताईद होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना मसूदा को समय करीब 05.10 पीएम के आस–पास जरिए दूरभाष अवगत कराया कि ग्राम कानपुरा जाटान रेबारियो की ढाणी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तथा वह मौके पर पडा है जहां काफी भीड इकटठी हो रखी है तथा किसी प्रकार की कोई जनहानि नही होना ग्रामीणों द्वारा बताया गया है एवं थानाधिकारी को मौके पर उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये गए। समय करीब 05.30 पीएम के आस–पास थानाधिकारी पुलिस थाना मसूदा श्री दिनेश कुमार जीवनानी मय थाना स्टाफ के मौके पर उपस्थित आए। जिन्होने उक्त वाहन का मौका निरीक्षण किया तो स्टाफ के श्री रामगोपाल हैड कानि0 ने अवगत कराया कि उक्त वाहन थाने के श्री श्रवण कुमार कानि0 नं0 2049 का है जिसे थोडी देर पहले ही श्री महेन्द्र कुमार कानि0 व श्री भंवरलाल जांगिड लेकर गए थे। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा थानाधिकारी श्री दिनेश कुमार को अपना परिचय दिया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया तो उन्होने अपनी सहमति प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस पर श्री दिनेश कुमार जीवनानी निरीक्षक पुलिस की उपस्थिति में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाहान से उक्त वाहन की तलाशी लिवाई गई तो उक्त वाहन में किसी प्रकार की कोई नगद राशि व शराब की बोतल रखी होना नहीं पाई गई। मात्र वाहन की खाना तलाशी में डेस्क बोर्ड में उक्त वाहन की मूल आरसी, श्री श्रवण कुमार कानि0 नं0 2049 का विभागीय परिचय पत्र, बैंक ऑफ बडौदा का एटीएम कार्ड जो श्रीमती बीना चौधरी के नाम से जारीशुदा एवं उक्त वाहन के मालिकाना हक से सम्बन्धित दस्तावेज की पत्रावली पेज 01 से 14 तक रखी होना पाई गई, जिसके प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन में किसी प्रकार की कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज/नगद राशि नहीं होना पाई गई एवं ना ही कोई वस्तु कब्जे एसीबी ली गई। थानाधिकारी श्री दिनेश कुमार जीवनानी को बाद खाना तलाशी उक्त वाहन को

सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए। बाद खाना तलाशी वाहन सुपुर्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ एवं थानाधिकारी महोदय के पुलिस थाना मसूदा के लिए रवाना होकर समय करीब 05.50 पीएम पर थाना हाजा पर पहुचे। थाना हाजा पर पहुचकर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठकर आवश्यक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की गई। जिसकी फर्द बरामदगी रिश्वत राशि नोट जो आरोपी महेन्द्र चौधरी ने वक्त लेन–देन के समय 40,000 रू0 मे से 20,000 रू0 लौटाए जाने एवं निरीक्षण वाहन संख्या आरजे–01सीई–7139 की फर्द तैयार की गई। जिस पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जे एसीबी ली गई। प्रकरण के समस्त हालात फर्द से रोशन होंगे। बाद फर्द तैयार कर शामिल रनिंग नोट की गई। आरोपी की तलाश करने पर आरोपी अपनी सकूनत से फरार होना पाये गए। आरोपियो की थाना मसूदा एवं उनके आवास पर तलाश करवाई गई तो थाने के एच0एम0 श्री रामगोपाल हैड कानि0 ने दोनो आरोपियों का अपने आवास एवं थाना परिसर में मौजुद नहीं होना तथा दोनो का ही किसी राजकार्य अथवा अवकाश/मेडीकल पर कोई रवानगी रोजनामचे में दर्ज नहीं होना बताया। थानाधिकारी द्वारा उक्त दोनो आरोपियों की थाना मसूदा के रोजनामचे में गैरहाजरी अंकित कर नकल रपट प्रस्तुत की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। जिस पर उनकी तलाशी हेतु सम्बन्धित थानाधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर जरिए वितन्तु सन्देश सूचित किया गया। समस्त हालात से उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र गवाहान, कार्यालय स्टाफ व परिवादी के जब्तशुदा शेष रिश्वत राशि, वॉइस रेकार्डर, ट्रेप बॉक्स व लेपटाप के ब्यूरो इकाई स्पेशल यूनिट–अजमेर के लिए रवाना होकर पहुचा। जहां परिवादी द्वारा प्रस्तुत शेष रिश्वत राशि 20,000 रू0 सिल्डचिट पैकेट को मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 02.06.22 को रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व व वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के समय की गई दर्ज वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शब्द–ब–शब्द दिनांक 03.06.22 को तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 3 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा शेष दो सीडी को पृथक–पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपियों हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित आलमारी में रखा गया तथा कागज के लिफाफे में रखी सीडी को अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 2213 पुलिस थाना मसूदा द्वारा परिवादी श्री हमीद खान के पुलिस थाना मसूदा मे धोखाधडी के दर्ज परिवाद संख्या 249 मे परिवादी के बोलेरो कैम्पर वाहन को छुडाने एवं मदद करने की एवज मे आरोपी श्री महेन्द्र चौधरी कानि0 द्वारा दिनांक 29.04.22 को रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 02.06.22 को आरोपी श्री महेन्द्र कुमार कानि0 न0 2213 एवं सहआरोपी श्री भंवरलाल जांगिड कानि0 चालक नं0 917 द्वारा आपस मे मिलीभगती कर षडयन्त्रपूर्वक अपने पद का दुरूपयोग किया जाकर वैद्य काम के बदले में 40,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग करते हुए 40,000 रू0 में से 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर मौके से वाहन संख्या आरजे–01एसई–7139 से लेकर फरार हो जाने एवं रिश्वत राशि खुर्द–बुर्द करने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 सपठित धारा 201 व 120बी भा0द0सं0 का कारित किया जाना पाया जाने से आरोपी श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 2213, श्री भंवरलाल जांगिड कानि0 चालक नं0 917 पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर एवं अन्य के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 201, 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 2213, एवं 2. श्री भंवरलाल कानि. चालक नं. 917 पुलिस थाना मसूदा, जिला अजमेर एवं अन्य आरोपीगण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 219/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 1935-39 दिनांक 6.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।